न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 51/2017

1 मोटाराम पुत्र श्री रूपाराम उम्र 76 साल
2 संदीप कुमार पुत्र श्री दीपचन्द उम्र 22 साल
समस्त जाति जाट निवासीगण तारपुरा तहसील व जिला सीकर।
3 शिमला उम्र 42 साल पुत्री श्री मोटाराम पत्नी श्री दीपचन्द जाति जाट निवासी टोडी माधोपुरा तहसील व जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 श्रीमती मणी उम्र 35 साल पुत्री मोटाराम पत्नी ओमप्रकाश
2 श्रीमती सरोज उम्र 33 साल पुत्री श्री मोटाराम पत्नी परमेश्वर
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर।
3 श्रीमती सावित्री उम्र 27 साल पुत्री श्री मोटाराम पत्नी महेश जाति जाट निवासी बगड़िया की ढाणी टोडी माधोपुरा तहसील व जिला सीकर।
4 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर।
5 उप पंजीयक सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.04.2017 न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर बउनवानी मणी बनाम मोटाराम आदि मु.नं. 64/16 आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश माथूर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

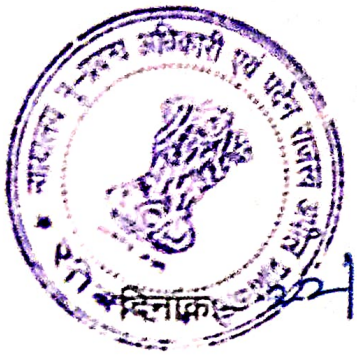

—निर्णय—

दिनांक 22/12/25

यह अपील विचारण सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 64/2016 में पारित निर्णय दिनांक 25.04.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादियागण रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बावत भूमि खसरा नम्बर 1926/1215 वाके ग्राम तारपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के जवाब आवेदन के तथ्य को समझने तक का भी प्रयास नहीं किया है, अपीलान्टस संख्या 1 मोटराम काबिज खातेदार काश्तकार था, जिसने आवश्यक प्रतिफल राशि प्राप्त कर अपीलान्ट संख्या 2 को भूमि विकय की है तथा अपने आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपीलान्ट संख्या 1 को अपनी कृषि भूमि विकय करने का पूर्ण कानूनन अधिकार है तथा अपीलान्ट संख्या 2 बोनाफाईड प्रचेजर है, भूमि कय करने के बाद कय की गयी भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना ही आज्ञा जैर अपील पारित करने में गलती की है। विचारण न्यायालय ने निर्णय/आदेश दिनांक 25.04.2017 में प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति तथा सुविधा का संतुलन आदि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तीनों बिन्दु पर कोई विवेचना नही की कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस का किस प्रकार प्रथम दृष्टया बनता है व किसी प्रकार उन्हें अपूरणीय क्षति हो रही है तथा प्रार्थीगण के पक्ष में सुविध का संतुलन किस आधार पर है, बिना विवेचन के ही विचाराधीन निर्णय पारित करते हुये अपीलान्टस को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया गया है जो कि उक्त आदेश/निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश दिनांक 25.04.2017 को पारित करते हुये आदेश/निर्णय में उल्लेखित किया है कि 'आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तादौराने दावा वाके ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित खसरा नम्बर 1926/1215 रकबा 1.01 है. भूमि को विक्रय, अन्तरित नहीं करें व मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखें' उक्त आदेश/निर्णय में किस अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया गया है, कोई उल्लेख नहीं किया है, इसलिए भी विचाराधीन आदेश/निर्णय दिनांक 25.04.2017 निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आदेश/निर्णय पारित नहीं किया है। उक्त आदेश/निर्णय पारित कर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस का आवेदन स्वीकार करने में भारी भुल की है, इसलिए भी आदेश/निर्णय दिनांक 25.04.2017 निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने, सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में नहीं होने तथा अपूरणीय क्षति भी उनको नहीं होने के बावजूद उनके पक्ष में निर्णय/आदेश दिनांक 25.04.2017 पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायायल द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादियागण रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 1926/1215 वाके ग्राम तारपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना स्वीकार कर लिया। पक्षकारो के मध्य भूमि खसरा नम्बर 1926/1215 वाके ग्राम तारपुरा के संदर्भ में उद्घोषणा,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विभाजन का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत होना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। आवेदनकर्तागण द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध सिविल न्यायालय में प्रकरण संख्या 15/2016 प्रस्तुत किया था। इस प्रकरण के निर्णय दिनांक 04.04.2025 से सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर अपीलान्ट को खसरा नम्बर 1926/1215 के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद भी किया है। इसकी पुष्टि में वरवक्त बहस रेस्पोडेन्ट द्वारा सिविल न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादियागण रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 1926/1215 वाके ग्राम तारपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना स्वीकार कर लिया।

प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य भूमि खसरा नम्बर 1926/1215 वाके ग्राम तारपुरा के संदर्भ में उद्घोषणा, विभाजन का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत होना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

आवेदनकर्तागण द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध सिविल न्यायालय में प्रकरण संख्या 15/2016 प्रस्तुत किया था। इस प्रकरण के निर्णय दिनांक 04.04.2025 से सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का वाद आंशिक स्वीकार

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कर अपीलान्ट को खसरा नम्बर 1926/1215 के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद भी किया है। इसकी पुष्टि वरवक्त बहस रेस्पोडेन्ट द्वारा सिविल न्यायालय के निर्णय की प्रति से होती है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर